# न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्री सुखवीर सिह चौधरी, आर0ए0एस0

राजस्व वाद सं0 : 221 सन 2016

अनवान :–

1. मनीराम पुत्र केसु जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

**वादी**

**बनाम**

1. महेन्द्र पुत्र केसु जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. लीलाधर पुत्र मैना पुत्री कमला पुत्री गणपत जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर
3. रोहताष पुत्र मैना पुत्री कमला पुत्री गणपत जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
4. शिमला पुत्री मैना पुत्री कमला पुत्री गणपत जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
5. कृष्णा पुत्री मैना पुत्री कमला पुत्री गणपत जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

**प्रतिवादीगण**

दावा बाबत ईष्तकरार हक अन्तर्गत धारा 193,188 आर0टी0एक्ट राजस्थान टिनेन्सी एक्ट सन 1955

उपस्थित :– श्री मागेराम गोदारा अधिवक्ता, वादी

निर्णय दिनांक :– ~~28.01.2013~~ 26/07/2024

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने दिनांक 21.12.2012 को विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद धोषणात्मक 193,188 इस आष्य का पेश किया की वादी व प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 के पूर्वजो गणपत व केसु पि0 कालू जाति नाई निवासी फेफाना जो गरीब व्यक्ति थे तथा गांव में सेवा चाकरी करके अपने परिवार का पालना पोषणा करते थे इनकी सेवा चाकरी के बदले रोही मौजा चक 6 केएनएन के प0न0 337/385(6) के किला न0 6 ,7 ,14 ता 16 प0न0 338/385(68) के किला न0 2 ,8 ता 13 ,18 ता 20 कुल 15.00 बीधा भूमि माफी में सदा के लिये दी गई थी।

उक्त भूमि हाल चक 6 केएनएन के खाता संख्या 146/122 की कुल 3.7930हैक में पैमुद हो चुकी है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 की नानी कमला पत्नी गणपत के नाम से गैर खातेदार दर्ज है।

गणपत पुत्र केसु का देहान्त हो चुका है एव उसकी पत्नी कमला का भी देहान्त हो चुका है जिनके वारिस एक पुत्री मैना है जिसका भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 है तथा केसु पुत्र कालू का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 है जिनके वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वादी के पूर्वजो को माफी में दी गई थी जिसके वे खातेदार काश्तकार हो चुके थी लेकिन राजस्व रिकार्ड में आदिनांक तक गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारो को हनन होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:33:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

वादी ने प्रतिवादी संख्या 7 तहसीलदार नोहर को वाद भूमि जो वादी के पूर्वजों को माफी में दी गई थी को गेरखातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज कर देवे तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 146/122 की कुल 3.7930हैक्‍ भूमि को वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 बहिब 1/2 हिस्सा के एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 बहिब 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का अनुतोष वादी में निहित होने के कारण तलबी की आवश्यकता नही तथा वादी के द्वारा भी प्रतिवादीगण को तर्क किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 7 को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

पेरोकार राज का जबाब शामिल मिसल किया जाकर साक्ष्य लिये गये साक्ष्य वादी में वादी ने अपना शपथ पत्र एव दस्तावेजात पेश किया जो शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में वादी व प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 के पूर्वजो गणपत व केसु पि0 कालू जाति नाई निवासी फेफाना जो गरीब व्यक्ति थे तथा गांव में सेवा चाकरी करके अपने परिवार का पालना पोषणा करते थे इनकी सेवा चाकरी के बदले रोही मौजा चक 6 केएनएन के प0न0 337/385(6) के किला न0 6 ,7 ,14 ता 16 प0न0 338/385(68) के किला न0 2 ,8 ता 13 ,18 ता 20 कुल 15.00 बीधा भूमि माफी में सदा के लिये दी गई थी।

उक्त भूमि हाल चक 6 केएनएन के खाता संख्या 146/122 की कुल 3.7930हैक्‍ में पैमुद हो चुकी है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की नानी कमला पत्नी गणपत के नाम से गैर खातेदार दर्ज है।

गणपत पुत्र केसु का देहान्त हो चुका है एव उसकी पत्नी कमला का भी देहान्त हो चुका है जिनके वारिस एक पुत्री मैना है जिसका भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 है तथा केसू पुत्र कालू का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 है जिनके वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 146/122 की कुल 3.7930हैक्‍ भूमि को वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 बहिब 1/2 हिस्सा के एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 बहिब 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया हमने उभय पक्ष की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया जमाबन्दी रोही मौजा चक 6 केएनएन खाता स0 146/122 की कुल 3.7930हैक्‍ में वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम बतौर गैरखातेदार काश्तकार दर्ज है।

रोही मौजा चक 6 केएनएन के पर्चा लगान एवं पर्चा खतौनी रोही मौजा चक 6 केएनएन में वाद भूमि माफी चाकरान गणपत केसु पि0 कालू के नाम दर्ज है अर्थात वाद भूमि गणपत केसू पि0 कालू को चाकरी के बदले भरण पोषण हेतु दी गई थी।

वादी के कथानुसार गणपत पुत्र केसु का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 है केसू पुत्र कालु का भी देहान्त हो चुका है केसू की पत्नी कमला का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिस उसकी पुत्री मैना थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:33:36 IST
Reason: SelfAttested



उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

जिसका भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 है जो प्रस्तुत जमाबन्दी में दर्ज है तथा वारिसान के सम्बध में कोई ऐतराज भी पेश नही हुआ है

वाद भूमि रोही मोजा चक 6 केएनएन की कुल 3.7930हैक माफी चाकरान में प्राप्त होने के बाद पहले गणपत केसु के कब्जा काश्त में रही जिसके देहान्त होने के बाद वर्तमान में वादी एव प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत गिरदावारीयो से साबित है

वाद भूमि विलेज सर्वेन्ट /कोटवाली की एवज मे दी गई भूमि होना प्रस्तुत साक्ष्यों से साबित है तथा कोटवाली/विजेज सर्वेन्ट के रूप में दी गई भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 193 के अन्तर्गत स्पष्ट प्रावाधान किया गया है कि माफी में दी गई भूमि के निशुल्क खातेदार अधिकार दिये जा सकते है । साथ ही राजस्थान काष्तकारी अधिनियम की धारा 88 के उपधारा 29 मे स्पष्ट उल्लेख किया गया है विलेज सर्वेन्ट को माफी मे दी गई भूमि के निशुल्क खातेदारी अधिकार दिये जावेगे । वादी के द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्त के अनुसार इसी न्यायालय के द्वारा माफी की भूमि को किमतन खातेदारी दी गई थी जिसे माननीय राजस्व मण्डल ने निरस्त की जाकर माफी की भूमि के निशुल्क खातेदारी अधिकार दिये जाने के आदेश दिये गये थे।

माफी कोटवाली की एवज मे दी गई भूमि के खातेदारी अधिकार दिये जाने के लिये राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 193 मे/अन्तर्गत स्पष्ट प्रावाधान किया गया है कि माफी में दी गई भूमि के खातेदार अधिकार दिये जा सकते है

वादी के द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्त पूर्णरूप से हस्तगत प्रकरण पर लागु होते है अर्थात वादी अपने पूर्वज गणपत केसु पि0 कालु जाति नाई साकिन फेफाना को माफी कोटवाली/विलेज सर्वेन्ट के रूप में दी गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

अतः वादी का वाद साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 146/122 की कुल 3.7930हैक वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 बहिब 1/2 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जाकर जमाबन्दी संशोधन की जावे इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 26/07/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल आरएएस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:33:36 IST
Reason: SelfAttested

# पर्चा–डिक्री

## न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर (हनुमानगढ)

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्री पंकज गढ़वाल आर0ए0एस0

अनवान :–

1. मनीराम पुत्र केसु जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र केसु जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. लीलाधर पुत्र मैना पुत्री कमला पुत्री गणपत जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर
3. रोहताष पुत्र मैना पुत्री कमला पुत्री गणपत जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
4. शिमला पुत्री मैना पुत्री कमला पुत्री गणपत जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
5. कृष्णा पुत्री मैना पुत्री कमला पुत्री गणपत जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88,193 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 221 सन 2016 निर्णय दिनांक** 26/07/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढवाल आर0ए0एस0 उपखण्डाधिकारी, नोहर के समक्ष अभिभाषक वादी श्री मागेराम गोदारा व परोकार राज की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 146/122 की कुल 3.7930हैक वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 बहिब 1/2 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जाकर जमाबन्दी संशोधन की जावे इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/07/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:33:36 IST
Reason: SelfAttested